

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये
रु. 50

FIFTY
RUPEES
Rs. 50

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

BD 057290

शपथ-पत्र/बंध पत्र का (Affidavit/Bond) प्रारूप :-

मैं अलादीन खां पुत्र बचाये खां जाति मुसलमान उम्र 32 साल निवासी- ग्राम जेसूराणा तहसील व जिला- जैसलमेर राजस्थान अध्यक्ष, सिकन्दर गौशाला, जेसूराणा शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ कि :-

1. मेरी संस्था का नाम- सिकन्दर गौशाला, जेसूराणा एवं संस्था का पंजीयन संख्या 76/जेसल/2011-12 दिनांक 02-01-2012 व गौशाला पंजीयन क्रमांक 1217/12 दिनांक 06-09-2012 है।
2. मेरी पशु शिविर के संचालन का स्थान ग्राम जेसूराणा तहसील का नाम जैसलमेर जिले का नाम जैसलमेर यह है।
- 3- मेरे पशु शिविर में वर्तमान में संवत् 2078 की अभाव अवधि के दौरान लंगु एवं सीमान्त कृषकों द्वारा छोड़े गये छोटे बड़े पशु संधारित है जो निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	पशु शिविर का नाम	राजस्व गांव	पशुओं की संख्या		
			बड़े	छोटे	कुल
1	पशु शिविर- सिकन्दर गौशाला जेसूराणा	जेसूराणा	191	09	200

4- मुझे ज्ञात है कि जिला कलक्टर/राज्य स्तर से मेरे घोषित पशु शिविर का आकरिमक निरीक्षण वीडियोग्राफी करवाई जा सकेगी।

5- मैं भलीभांति परिचित हूँ कि आकरिमक निरीक्षण/वीडियोग्राफी के दौरान बताई गई पशु संख्या में यदि कमी/अनियमितता पायी जाती है तो मेरे व मेरी संस्था के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी।

6- मैं पशु शिविर की स्वीकृति में उल्लेखित सभी शर्तों की पूर्णतः पालना करूंगा।

7- जिले द्वारा समय-समय पर निरीक्षण/परीक्षा के लिए मैं पूर्णतः पालना करूंगा।

मैं अलादीन खां पुत्र बचाये खां जाति मुसलमान उम्र 32 साल निवासी- ग्राम जेसूराणा तहसील व जिला- जैसलमेर राजस्थान अध्यक्ष, सिकन्दर गौशाला, जेसूराणा शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि उपर्युक्त संख्या से 7 तक दिया गया विवरण सत्य है।



Keshar Singh Bhat
Notary Public
Signature Assisted

Signature Assisted
Keshar Singh Bhat
Notary Public
Signature Assisted

पंजीयन क्रमांक 1217/12

दिनांक 6-9-2012

डिस्पेच नं. 1446

दिनांक 6-9-2012

प्रपत्र (फार्म) संख्या-7

राजस्थान गोशाला अधिनियम, 1960 की धारा 5 के अन्तर्गत (देखिये नियम-6)

पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) प्रमाण-पत्र



सत्यमेव जयते

कार्यालय पंजीयन (रजिस्ट्रार), गोशालाएँ राजस्थान, जयपुर

श्री सिकन्दर गोशाला -
ग्राम जैसुराणा पोस्ट हमीरा तहसील जैसलमेर
जिला जैसलमेर (राजस्थान) के सम्बन्ध में।

चूंकि श्री अल्तादीन खाँ - अध्यक्ष न्यासी (ट्रस्टी) गोशाला

श्री सिकन्दर गोशाला जैसुराणा तह. जैसलमेर ने राजस्थान गोशाला अधिनियम, 1960 (अधिनियम संख्या 24 सन् 1960) की धारा 5 के अन्तर्गत उक्त गोशाला के पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) के लिये आवेदन किया है एवं चूंकि आवश्यक जांच पड़ताल कर लेने के पश्चात् में सन्तुष्ट हो गया है, कि आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत अपेक्षित विवरण सही है, तथा आवेदन-पत्र में दिये गये विवरण सत्य है, अतः मैं उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा 3 के अनुसरण में, एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त गोशाला पंजीयत (रजिस्टर) करली गई है।

आज दिनांक 6-9-2012

माह सितम्बर

वर्ष 2012

उपनिदेशक गोशाला, जयपुर

पंजीयक (रजिस्ट्रार) एवम् उपनिदेशक
गोशाला, राजस्थान, जयपुर